"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2009—आश्विन 15, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005), की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा राज्य शासन ने "सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009" बनाया है.

2. ऊपर उल्लेखित अधिसूचना के मुख्य भाग में उल्लेखित शब्द एवं अंक "धारा 28 की उपधारा (1)" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 27 की उपधारा (1) व (2)" मूल अधिसूचना के दिनांक से प्रतिस्थापित किये जाते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 7th October 2009

NOTIFICATION

No. F 2-10/2008/1-RTI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government has framed "The Chhattisgarh Right to Information (Submission of Application) Rules, 2009" vide this department's notification No. F 2-10/2008/1-RTI, dated 15th June 2009.

2. In the main part of above mentioned notification for the words and figures "sub-section (1) of Seciton 28" the words and figures "sub-section (1) and (2) of Section 27" are substituted from the date of original notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.